न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कुणाल राहड़, आर0ए0एस0

वाद सं ::156/2024
जीसीएमएस सं0 :: 2024/327

1. अन्जू पत्नि दिनेश कुमार अग्रवाल जाति महाजन नि0 वा0नं0 8 नया प्रेमसुख कॉलोनी सीकर तहसील व जिला सीकर। जरिये मुख्तयार सविता अग्रवाल
2. अन्जू देवी पत्नि गोवर्धनलाल अग्रवाल जाति महाजन नि0 राधाकिशनपुरा वा0नं0 38 सीकर तह0 जिला सीकर।
3. निशा खेतान पत्नि अनिल खेतान जाति महाजन नि0 बद्रीनारायण श्रीराम खैतान बस स्टेण्ड के पास दांता, जिला सीकर।
4. सुमन अग्रवाल पत्नि हेमन्त कुमार अग्रवाल जाति महाजन नि0 सीकर तहसील व जिला सीकर।
5. सुलोचना अग्रवाल पत्नि सतीशचन्द्र अग्रवाल जाति महाजन नि0 398 सूर्य नगर जयपुर जिला जयपुर।
6. सविता अग्रवाल पत्नि मुकेश कुमार अग्रवाल जाति महाजन नि0 वा0नं0 8 नया प्रेमसुख कॉलोनी, सीकर तह0 जिला सीकर।

– वादीगण,

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ, जिला सीकर।

– प्रतिवादी,

उपस्थित :– . 1.श्री सागरमल धायल वकील वादीगण की ओर से।

दावा उद्‌घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा एंव दुरूस्ती इन्द्राजात अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एंव धारा 136 भू राजस्व अधिनियम ।

निर्णय दिनांक :: 06.02.25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि खाता सं0 6 की विवादित आराजी ख0नं0 1059 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह ख0नं0 1066 रकबा 0.05 है0 गै0मु0 रास्ता, ख0नं0 1080 रकबा 0.02 है0 ख0नं0 1081 रकबा 0.40 है0 ख0नं0 2834/2717 रकबा 0.0376 है0 ख0नं0 2836/2717 रकबा 0.024 है0 ख0नं0 2837/2729 रकबा 0.0190 है0 ख0नं0 2839/2729 रकबा 0.0350 है0 ख0नं0 2841/2726 रकबा 0.0230 है0 ख0नं0 2843/2735 रकबा 0.0150 है0 ख0नं0 2845/2739 रकबा 0.0055 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 0.6391 है0 तन ग्राम मंढा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर स्थित है।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner

वर्णित आराजियात की खातेदारी निम्न प्रकार है :—वादी सं0 1 का— 3069/20002 हिस्सा, वादी सं0 2 का—1600/10001 हिस्सा, वादी सं0 3 का—2663/2002 हिस्सा, वादी सं0 4 का—1964/1001 हिस्सा, वादी सं0 5 का—3779/2002 हिस्सा, वादी सं0 6 का—3363/2002 हिस्सा है। वाद के पैरा सं0 1 में वर्णित आराजी ख0नं0 2839/2729 रकबा 0.035 है0 भूमि मौके पर रास्ते के उपयोग उपभोग में आ रही है व जिसे दावे के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में निशान ए,बी,सी,डी से दर्शित किया गया है व ख0नं0 1066 के रकबा 0.0150 है0 में मिलाकर उपयोग उपभोग में ली जा रही है। खसरा नंबर 1066 का रकबा जो रास्ते के उपयोग उपभोम में आ रहा है,उसे नजरी नक्शे में निशान ए,डी,ई,एफ में दर्शित किया है।

ख0नं0 1066 रकबा 0.05 है0 में से 0.0350 है0 भू भाग जिसे नजरी नक्शा में निशान डी,जी,एच,आई, से दर्शित किया है। उक्त रकबा वादीगण ने काश्त भूमि ख0नं0 1067 में मिलाकर काश्त किया जा रहा है व कभी रास्ते के उपयोग उपभोग में नहीं आया व ना ही वर्तमान में ही आ रहा है, क्योंकि ख0नं0 2740/1068 के उत्तरी तरफ कटाणी रास्ता ख0नं0 2838/2729 स्थित है, ख0नं0 1069 के पूर्वी साईड में सडक स्थित है। इस प्रकार ख0नं0 1066 का रकबा 0.0350 है0 भू भाग कभी रास्ते के उपयोग उपभोग में नहीं आया व ना ही वर्तमान में आ रहा है। नजरी नक्शे में निशानात डी,जी,एच,ई, भू भाग काश्त व अन्य उपयोग में आ रहा है। उक्त रकबा 0.0350 है0 गै0मु0 रास्ता दर्ज रहने से वादीगण के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है व वादीगण इस गै0मु0 रास्ता किस्म दर्ज होने से सरकारी सहायता व अन्य भू उपयोंग नहीं कर पा रहे है। वादीगण ने प्रति0सं0 1 को ख0नं0 1066 के रकबा 0.0350 है0 की खातेदारी वादीगण के हक में अंकित करने व ख0नं0 2839/2729 रकबा 0.0350 है0 की खातेदारी गै0मु0 रास्ता दर्ज करने हेतु दिनांक 05.09.2024 को कहा तो वे साफ इंकार हो गये व सक्षम न्यायालय में वाद पेश करने की सलाह दी। इसलिए वादीगण को दावा उद्घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने वाद पत्र पेश कर वाद पत्र की मद सं0 11 की उप मद क,ख,ग,घ, ड़ अनुसार वाद वादीगण डिक्री करने हेतु निवेदन किया है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रतिवादी बावजूद रजिस्टर्ड तामील के हाजिर नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा विवादित आराजियात के बाबत मौके की रिपोट्र तहसीलदार, दांतारामगढ़ से तलब की जानेपर तहसीलदार, दांतारामगढ़ ने जरिये पत्रांक राजस्व/2025/1658 दिनांक 13.1.25 के द्वारा मौका रिपोर्ट भिजवाई कि प्रकरण में वादग्रस्त आराजी ग्राम मंढा ख0नं0 1066 रकबा 0.0500 हे0 किस्म गै0मु0 रास्ता व ख0नं0 2839/2729 रकबा 0.0350 है0 किस्म चाही 4 है तथा उक्त खसरा नंबरान की खातेदारी संलग्न जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी उक्त आराजी ख0नं0 1066 में से 0.0350 है0 भूमि जो मौके पर रास्ते के उपयोग में नहीं आ रही है, उसकी किस्म गै0मु0 रास्ते के स्थान पर चाही 4 तथा 2839/2729 रकबा 0.0350 है0 भूमि जो मौके पर रास्ते के काम आ रही है, उसकी किस्म चाही 4 के स्थान पर गै0मु0 रास्ता करवाने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में रिकार्ड व मौका जांच व

सहायक कलक्टर (मु.) श्रीकर

Scanned with CamScanner

निरीक्षण करने पर पाया कि प्रार्थीयान की खातेदारी की भूमि ख0नं0 1066 का कुल रकबा 0.05 है0 है, जिसकी किस्म गै0मु0 रास्ता है। परन्तु मौके पर उक्त ख0नं0 की भूमि में से पृष्ठांकित नजरी नक्शा अनुसार 0.0350 है0 भूमि पर मौके पर कोई रास्ता चालू नहीं है और ना ही भूमि रास्ते के रूप में काम आ रही है। उक्त 0.0350 है0 भूमि प्रार्थीयान की खातेदारी ख0नं0 1067 में शामिल है,शेष रकबा 0.0150 भूमि रास्ते के काम आ रही है तथा ख0नं0 2839/2729 रकबा 0.0350 है0 किस्म चाही 4 मौके पर रास्ते के रूप में काम आ रही है, मौके पर रास्ता चालू है।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, तहसीलदार तहसीलदार, दांतारामगढ़ ने जरिये पत्रांक राजस्व/2025/1658 दिनांक 13.1.25 के द्वारा भिजवाई गई मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीयान की खातेदारी की भूमि ख0नं0 1066 का कुल रकबा 0.05 है0 है, जिसकी किस्म गै0मु0 रास्ता है। परन्तु मौके पर उक्त ख0नं0 की भूमि में से पृष्ठांकित नजरी नक्शा अनुसार 0.0350 है0 भूमि पर मौके पर कोई रास्ता चालू नहीं है और ना ही भूमि रास्ते के रूप में काम आ रही है। उक्त 0.0350 है0 भूमि प्रार्थीयान की खातेदारी ख0नं0 1067 में शामिल है, शेष रकबा 0.0150 भूमि रास्ते के काम आ रही है तथा ख0नं0 2839/2729 रकबा 0.0350 है0 किस्म चाही 4 मौके पर रास्ते के रूप में काम आ रही है, मौके पर रास्ता चालू है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम मंढा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर के आराजी ख0नं0 1066 रकबा 0.05 है0 में से 0.0350 है0 भू भाग का जमाबंदी में दर्ज हिस्सो के अनुसार वादीगण सं0 1 लगायत 6 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भूमि ख0नं0 2839/2729 रकबा 0.0350 है0 भूमि को गै0मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, दांतारामगढ़,सीकर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे, साथ ही तहसीलदार, दांतारामगढ़, सीकर को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण को विवादित आराजी ख0नं0 1066 रकबा 0.05 है0 में से 0.0350 है0 भू भाग से वादीगण को बेदखल कर जबरन कब्जा करने से बाज रहे व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 06.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

Scanned with CamScanner